

Papers Laid on the Table by Ministers/Members

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TOURISM (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Sir, I beg to lay on the Table: -

(1) A copy of the Marine Aids to Navigation (Accreditation of Training Organisations) Rules, 2022 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.178(E) in Gazette of India dated 13th March, 2023, under Section 51 of the Marine Aids to Navigation Act, 2021.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9734/17/23]

(3) A copy of the Notification No. IMU/HQ/ADM/Notification/2023/01 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated April 6th, 2023 notifying amendment to Statute 7(1), Ordinance No. 02 of 2020 and Ordinance No. 04 of 2019 relating to Indian Maritime University, under sub-section (2) of Section 47 of the Indian Maritime University Act, 2008.

[Placed in Library, See No. LT 9735/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Inland Waterways Authority of India, Gautambudh Nagar, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Inland Waterways Authority of India, Gautambudh Nagar, for the year 2021-2022.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 9736/17/23]

? (Interruptions)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 44 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 269(अ) में प्रकाशित हुआ था।

- (दो) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 493(अ) में प्रकाशित हुआ था
[Placed in Library, See No. LT 9737/17/23]
- (2) सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) सरोगेसी विनियम, 2023 जो 5 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.270(अ) में प्रकाशित हुआ था
- (दो) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 8 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.415(अ) में प्रकाशित हुआ था
- (तीन) सरोगेसी (विनियमन) संशोधन नियम, 2023 जो 11 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.494(अ) में प्रकाशित हुआ था
[Placed in Library, See No. LT 9738/17/23]
- (3) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) संशोधन नियम, 2023, जो 31 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 400(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[Placed in Library, See No. LT 9739/17/23]

? (व्यवधान)

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगवंत

खुबा): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) औषधि (मूल्य नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2023 जो 11 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2165(अ) में प्रकाशित हुआ था
- (दो) औषधि (मूल्य नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2023 जो 25 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 2324(अ) में प्रकाशित हुआ था
[Placed in Library, See No. LT 9740/17/23]
- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (क) (एक) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव के वर्ष 2017-2018 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, गुडगांव का वर्ष 2017-2018 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 9741/17/23]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9742/17/23]

(4) राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 9743/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. BHARATI PRAVIN PAWAR): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2021-2022.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2021-2022, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Indian Council of Medical Research, New Delhi, for the year 2021-2022.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9744/17/23]

? (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AYUSH (DR. (PROF.) MAHENDRA MUNJAPARA): Sir, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the North Eastern Institute of Ayurveda and Homoeopathy, Shillong, for the year 2021-2022.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 9745/17/23]

? (*Interruptions*)

-

12.02 hrs